(41)

अनुसूची 14– फारम सं. 612

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या.....33/16–17.....सन् 2016–17

केश का प्रकार ...श्री लाल बहादुर रमण, पंचायत सचिव, प्रखण्ड–मधेपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन।

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
24.5.17	जिला पदाधिकारी, मधुबनी का आदेश ज्ञापांक–21/जि0पंचा0दिनांक–07.1.2017 द्वारा श्री लाल बहादुर रमण, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज तरडीहा पंचायत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर को नामित किया गया एवं संचालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। आरोपी कर्मी को प्रपत्र–क की प्रति उपलब्ध कराते हुये पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया साथ ही उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर को भी सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। आरोपी कर्मी अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया जिस पर उपस्थापन पदाधिकारी से मंतव्य प्राप्त किया जिसकी प्रति आरोपी कर्मी ने प्राप्त कर अपना अनापत्ति आवेदन समर्पित किया। प्रपत्र–'क' में आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप निम्न प्रकार है:– **कूपन वितरण में मनमानी एवं आदेश की अवहेलना:–** कार्यालय पत्रांक–344/आपू. दिनांक–01.10.2016 के द्वारा निर्गत रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत तरडीहा का मुद्रित राशन एवं किरासन कूपन जो जिला कार्यालय से प्राप्त हुआ था संबंधित उपभोक्ताओं के बीच वितरण करने हेतु आपको प्राप्त कराया गया था। सरकारी निदेशानुसार माह अक्तुबर 2016 से राशन किरासन कूपन के आधार पर उपभोक्ताओं के बीच जन वितरण प्रणाली बिकेता द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल आपूर्ति किया जाना था। समय सीमा एवं जिला पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा दिये गये निदेशों से आपको सूचित करते हुये आपको कूपन प्राप्त करने एवं ससमय उपभोक्ताओं के बीच कूपन वितरण करने की सूचना मौखिक एवं दूरभाष से दी गयी। इसके बावजूद आपने इस जन कल्याण की योजना में लापरवाही बरतते हुए अनावश्यक विलम्ब करते हुये सरकार की कल्याणकारी नीति को विफल करने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम आपने राशन एवं किरासन कूपन मधेपुर प्रखंड भंडार से प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब किया। दूरभाष से बार–बार निदेशित करने के बाद आपने कूपन प्राप्त किया और फिर वितरण भी तुरत शुरू नहीं किया। यह आपकी लापरवाही एवं मनमानी का द्योतक है। वितरण के पश्चात् अवशेष योजनावार राशन एवं किरसन कूपन के साथ–साथ वितरण पंजी प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निदेश बैठक में तथा दूरभाष से आपको दिया गया था ताकि जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक–1061/जि0आपूर्ति दिनांक–30.11.2016 के द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में अवशेष योजनावार राशन एवं किरासन कूपन के साथ–साथ वितरण पंजी की छाया प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को सुपूर्द करते हुए जिला पदाधिकारी मधुबनी को प्रतिवेदित किया जा सके। आपके द्वारा वितरण के पश्चात् अवशेष योजनावार राशन एवं किरासन कूपन के साथ–साथ वितरण पंजी अद्यतन जमा नहीं करने के कारण अवशेष कूपन एवं वितरण पंजी अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर के यहाँ जमा नहीं किया जा सका है और न ही आदेशानुसार समय जिला कार्यालय को प्रतिवेदित किया जा सका।	

आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण:–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–344/आपूर्ति दिनांक 01.10.2016 द्वारा ग्राम पंचायत राज तरडीहा में मुद्रित कूपन यथा रा0खा0सुरक्षा किरासन तेल अन्त्योदय वितरण करने हेतु उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति आदेश के अनुपालन में वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के भण्डारण से योजनावार कूपन प्राप्त कर संबंधित पंचायत के लाभार्थियों के बीच कूपन का वितरण तय समय–सीमा में करते हुए अवशेष योजनावार कूपन एवं वितरण पंजी माह दिसम्बर 16 के पूर्व ही प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुर में जमा कर दिया। जमा अवशेष कूपन एवं कूपन वितरण संबंधी योजनावार प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अन्य पंचायत के साथ–साथ तरडीहा पंचायत का भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुर के पत्रांक–1995 दिनांक–03.12.2016 द्वारा अनुमण्डल कार्यालय, झंझारपुर को भी भेज दिया गया है। प्रतिवेदन भेजे गये सूची के कमांक कमशः (04, 04, 04) पर तरडीहा पंचायत अंकित है।

ज्ञातव्य हो कि प्राप्त कूपन लाभार्थियों के बीच वितरण हो जाने के बाद अवशेष कूपन प्रखड कार्यालय, मधेपुर में जमा हो जाने एवं प्र0वि0पदा0, मधेपुर द्वारा वितरण और अवशेष कूपन अनु0पदा0झंझारपुर को भेजे जाने के पश्चात् उनके विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप गठित कर भेजा गया है। कूपन के वितरण में मनमानी नहीं की गयी है, वितरण संबंधी आदेश का अनुपालन किया गया है। आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। आरोपी कर्मी ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुर द्वारा निर्गत कार्यादेश ज्ञापांक–344/आपूर्ति दिनांक–01.10.2016 की छाया प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर के पत्रांक–892 दिनांक 12.04.2017 से प्राप्त मंतव्य निम्न प्रकार है:–

1– श्री लाल बहादुर रमण को संबंधित कूपन वितरण कराने हेतु अधिकृत किया गया। कूपन दिनांक 17.10.2016 से 22.10.2016 तक वितरण किया जाना था। श्री लाल बहादुर रमण के द्वारा दिनांक–19.10.2016 को पंचायत को आवंटित कूपन प्राप्त किया गया। वितरण के पश्चात् अवशेष कूपन एवं वितरण पंजी पंजी कार्यालय में जमा कर दिया गया जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–1995 दिनांक 03.12.2016 से अनुमंडल कार्यालय, झंझारपुर को भेज दिय गया।

2– कूपन वितरण कार्य तयसूदा समय–सीमा के अंदर सम्पन्न करना था श्री लाल बहादुर रमण के द्वारा निर्धारित समय–सीमा में वितरण कार्य सम्पादित करने में कोताही बरती गयी है। मौखिक रूप एवं मोबाईल से वितरण के संबंध में दिये गये मार्ग दर्शन का सही रूप में अनुसरण नहीं किया है। फलतः विभागीय आदेश/अनुदेश की उपेक्षा कर कार्य का सम्पादन किया गया है। इस तरह इस कार्य में इनके द्वारा अपेक्षा पूर्ण नीति अखितयार की गयी जो अशोभनीय है। आरोपी कर्मी के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुर के मंतव्य पर आरोपी कर्मी का अनापत्ति आवेदनः–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पत्रांक–892 दिनांक 12.04.2017 में लिखा गया है कि दिनांक 03.12.2016 को ही अनुमण्डल कार्यालय में सभी अवशेष कूपन एवं वितरण सूची भेज दिया गया जबकि उन्हें तीन पंचायतों का प्रभार मिला है फिर भी उनके द्वारा ससमय कार्यो का सम्पादन किया जाता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार ही वितरण किया गया है किसी प्रकार का कोई आदेश की अवहेलना नहीं किया गया इसके अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य पर कोई आपत्ति नही है अतः आरोप से मुक्त करने का अनुरोध आरोपी कर्मी ने किया।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम:-

आरोपी कर्मी के विरूद्ध मुद्रित राशन एवं किरासन कूपन का उपभोक्ताओं के बीच वितरण में विलम्ब किये जाने का मुख्य आरोप है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुर द्वारा कूपन वितरण हेतु अपने कार्यालय से निर्गत आदेश ज्ञापांक–344/आपूर्ति दिनांक–01.10.2016 में तैयार किये गये रोस्टर के अनुसार कूपन वितरण हेतु निर्धारित दिवस दिनांक 17.10.2016 से 22.10.2016 तक की अवधि निर्धारित की गयी थी जिसका पालन नहीं किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य:–

सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि कूपन वितरण प्रतिवेदन आरोपी कर्मी द्वारा जमा कर दिया गया। आरोपी कर्मी के विरूद्ध कूपन वितरण प्रतिवेदन समर्पित करने में विलम्ब के अतिरिक्त अन्य कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

अधिगम/जॉच प्रतिवेदन से संबंधित मूल अभिलेख जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को भेजें। अधिगम की छाया प्रति जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ भेजें।

लेखापित

संचालन पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

संचालन पदाधिकारी–सह
अपर समाहर्ता, मधुबनी।